टेण्डर नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत, रामपुर द्वारा दिनांक 10.02.2010 से 26.02.2010 तक लगने वाले वार्षिक किसान मेला रठौण्डा, 2010 में तहबाजारी दुकानें, लकड़ी बाजार आदि की वसूली के लिए सील मोहर बन्द टेण्डर दिनांक 08.01.2010 (शुक्रवार) को 3–00 बजे तक आमन्त्रित किये जाते हैं। जो उसी दिन 3–30 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष समिति द्वारा खोले जायेंगे। टेण्डर फार्म के साथ 100000/– रूपये जमानत की धनराशि नकद तथा चरित्र एवं हैसियत प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जिन टेण्डरों के साथ चरित्र व हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होगा उन टेण्डरों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। ठेके की समस्त धनराशि नकद जमा करनी होगी। उक्त तिथि को टेण्डर प्राप्त न होने पर पुनः टेण्डर प्राप्त की कार्यवाही क्रमशः दिनांक 16.01.2010, 23.01.2010 एवं 30.01.2010 को उक्तानुसार की जायेगी। टेण्डर से संबंधित सूचना वेबसाइट **http:\\rampur.nic.in** पर देखी जा सकती है एवं टेन्डर फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। इन्टरनेट से डाउनलोड करने की दशा में फार्म शुल्क 100/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, रामपुर के पक्ष में टेन्डर फार्म के साथ जमा करना होगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर

कार्यालय जिला पंचायत, रामपुर

पत्रांक :   /जि0पं0   दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रामपुर को इस अनुरोध के साथ कि कृपया इस विज्ञापन को इन्टरनेट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नः– एक सी0डी0
2. संवाददाता, अमर उजाला, रामपुर को इस आशय से कि कृपया उपरोक्त टेण्डर नोटिस को एक बार कम से कम स्थान पर शासकीय दरों पर प्रकाशित कराकर समाचार पत्र की दो प्रति सहित बिल भुगतान हेतु भेजने का कष्ट करें।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रामपुर